

न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्ता, खूँटी

2

अनुमति वाद संख्या :- 346/19-20

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा - 46)

इलियस भेंगरा

- विक्रेता

सेतेंग डहंगा

- क्रेता

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित										
23.03.20	<p style="text-align: center;">आदेश</p> <p>आवेदक इलियस भेंगरा पिता स्व० सिमोन भेंगरा ग्राम-पंडरा गिरजा टोली, पो०-अंगराबारी, थाना तोरपा, जिला खूँटी ने सेतेंग डहंगा पति फ्रांसिस भेंगरा ग्राम-ओकडा, करंज टोली, पो०-अंगराबारी, थाना तोरपा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतु आवेदन पत्र दिया है।</p> <table border="1" data-bbox="276 734 1361 835"> <thead> <tr> <th>ग्राम</th> <th>थाना नं०</th> <th>खाता नं०</th> <th>खेसरा सं०</th> <th>रकबा (एकड़ में)</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>पंडरा</td> <td>02</td> <td>47</td> <td>172</td> <td>0.11½</td> </tr> </tbody> </table> <p>आवेदक अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए आवासीय/जाति प्रमाणपत्र, खतियान एवं लगान की रसीद सं० 0430804916 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, तोरपा के पत्रांक 241 दिनांक 21.03.20 से जाँच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि बिक्री खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम गोला पाहन वगैरह है। पंजी II के अनुसार भोला पाहन वगैरह के नाम भूमि का रकबा 36.97 एकड़ है। आवेदक के पास कुल रकबा 03.69 एकड़ भूमि है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2019-20 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 6448.00 (छ हजार चार सौ अड़तालीस) रू० प्रति डीसमिल है। इस भूमि के विक्रय में आवेदक के हिस्सेदारों की कोई आपत्ति नहीं है। भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष रकबा 3.57½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना तोरपा के निवासी हैं एवं एक ही समुदाय (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईंहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदबन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, तोरपा ने क्रेता-विक्रेता को भूमि क्रय-विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।</p> <p>आवेदक के विद्वान अधिवक्ता के बहस को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, तोरपा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण इलियस भेंगरा पिता स्व० सिमोन भेंगरा को सेतेंग डहंगा पति फ्रांसिस भेंगरा के साथ ग्राम पण्डरा के खाता सं० 47 खेसरा संख्या 172 कुल रकबा 0.11½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर 6448.00 (छ हजार चार सौ अड़तालीस) रू० प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, तोरपा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।</p> <p>लेखापित एवं संशोधित</p> <p style="text-align: center;">23/03/20</p> <p>भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p> <p style="text-align: right;">23/03/20 भूमि सुधार उप समाहर्ता, खूँटी।</p>	ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)	पंडरा	02	47	172	0.11½	
ग्राम	थाना नं०	खाता नं०	खेसरा सं०	रकबा (एकड़ में)								
पंडरा	02	47	172	0.11½								